



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) Ph.: 0141-2706106 (0);

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ Skill/2019/ 1321

Date: 03<sup>rd</sup> Oct. 2019

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

**विषय: सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद के संबंध में।**

राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) के अन्तर्गत चयनित राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क कौशल कोर्सेज आरम्भ करवाये जा रहे हैं। इस संबंध में सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से एक आवश्यक संवाद किया जाना है। साथ ही, नियमित कक्षाओं का संचालन, मासिक परीक्षा एवं मूल्यांकन, प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षाएँ, RACE कार्यक्रम की क्रियान्विति एवं अपेक्षाएं, RACE कार्यक्रम की क्रियान्विति, बायोमैट्रिक उपस्थिति, 'कॉलेज- कम्प्यूनिटी कनेक्ट कार्यक्रम' केन्द्रित संवाद संगम कार्यक्रम, अन्तर-संकाय संवाद प्रोत्साहन हेतु आज दिनांक 3 अक्टूबर 2019 को जारी IDEA योजना, तथा अर्जुन दृष्टिकार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा की जायेगी।


इसी संबंध में दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों के साथ संवाद करेंगे।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक निम्नानुसार निकटवर्ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केन्द्र (अटल सेवा केन्द्र पर DOITC द्वारा स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष) पर पहुंचना सुनिश्चित करें। इस बैठक में प्रत्येक महाविद्यालय से प्राचार्य तथा उनके साथ नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी अधिकारी सहित अधिकतम 02 व्यक्तियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

ध्यान दें कि अपरिहार्य कारणोंवश जिला जयपुर एवं प्रतापगढ़ में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उक्त दिनांक एवं समय को उपलब्ध नहीं होगी, अतः जिला जयपुर के सभी महाविद्यालयों के केवल प्राचार्यगण शिक्षा संकुल परिसर स्थित ब्लॉक 6 के वीडियो कॉन्फ्रेंस रुम में उपस्थित रहेंगे, जबकि जिला प्रतापगढ़ के प्राचार्य एवं प्रभारी नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी अधिकारी निकटतम जिले के किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस रुम में उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में लेख है कि -




1. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक होगी, अतः सभी आमंत्रित समय से निम्नलिखित अनुसार मीटिंग स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
2. सभी आमंत्रित जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कलैक्टर/जिला परिषद परिसर में स्थित DOITC वाले वीडियो कॉन्फ्रेन्स केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
3. ब्लॉक स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मुख्यालय में स्थापित DOITC वाले वीडियो कॉन्फ्रेन्स केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
4. अधिशेष महाविद्यालयों के प्राचार्य निकटतम पंचायत समिति मुख्यालय में स्थापित DOITC वाले वीडियो कॉन्फ्रेन्स केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
5. जिला जयपुर के सभी महाविद्यालयों के केवल प्राचार्यगण शिक्षा संकुल परिसर स्थित ब्लॉक 6 के वीडियो कॉन्फ्रेन्स रुम पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
6. जिला प्रतापगढ़ के प्राचार्य एवं प्रभारी नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी अधिकारी निकटतम जिले के किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेन्स रुम में उपस्थित रहेंगे।
7. सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान इस वीडियो कॉन्फ्रेन्स में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
8. सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रभारियों की उपस्थिति आवश्यक है। RACE योजना के नोडल प्राचार्य अपने सभी स्तर पर भी जिले के सभी प्राचार्यों को सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
 प्रदीप कुमार बोरड़, IAS  
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, एवं  
 आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ Skill/2019/ 1322-23; Date: 03<sup>rd</sup> Oct. 2019

सूचनार्थ प्रतिलिपी:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग हेतु संबंधितों को आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देशित करें।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, HRD आकाशि, जयपुर।
7. सभी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
8. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर को संबंधित महाविद्यालयों को सूचित करने हेतु।
9. वैब प्रभारी को आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
 डा. विनोद कुमार भारद्वाज,  
 प्रभारी अधिकारी  
 नवाचार एवं कौशल विकास